COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(82)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–ग्वालियर

चतुरी पुत्र श्री श्याम लाल जाटव
निवासी–ग्राम डबरा सानी तहसील करैरा
जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

नत्थो बाई पुत्री मौजीराम जाटव पत्नी हल्के राम
निवासी –ग्राम पुराबनवार तहसील चीनौर
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

...... अनावेदक

<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 63/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.09.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3748–पीबीआर/16 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–12–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आगामी पेशी तक के लिए स्थगन दिया गया है, जबकि संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप तीन माह से अधिक स्थगन नहीं दिये जाने का प्रावधान है, असीमित अवधि के लिए स्थगन दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रथम दृष्टया विधि अनुरूप नहीं होने से निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे तीन माह में आवश्यक रूप से प्रकरण का निराकरण करें । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	